

संख्या-ई-1699148/18-2-2023 ल 030

प्रेषक,

अरुण प्रकाश
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 25/04/2023

विषय:- शासकीय विभागों में वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिवहन अनुभाग-4 के पत्रांक-13/2023/565/तीस-4-2023-30-4099(099)/40/2023 दिनांक-18.04.2023 की छायाप्रति संलग्न कर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पत्र में वर्णित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by अरुण प्रकाश
(~~25/04/2023~~ 25/04/2023 17:39:01
Reason Approved)

E-1699148

सं. 1580/साचव/एमएलए/23
दिनांक 21-04-2023

संख्या 1507/साचव/एमएलए/23
दिनांक 21/04/23

375/18-2-23

महत्वपूर्ण

संख्या- 13/2023/565/तीस-4-2023-30-4099(099)/40/2023

सेवा में,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

साचिव

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 18 अप्रैल, 2023

विषय: उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किये जाने एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से औद्योगिक विकास विभाग द्वारा "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैनुफैक्चरिंग नीति, 2019 प्रख्यापित की गयी है। विगत 03 वर्ष में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण क्षेत्र में आए व्यापक बदलाव, तकनीकी सुधार तथा पर्यावरण के प्रति प्रदेश की बढ़ती जिम्मेदारी के दृष्टिगत उक्त नीति के स्थान पर नवीन नीति प्रख्यापित किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत औद्योगिक विकास विभाग द्वारा दिनांक 14.10.2022 को "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022" प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीति के प्रस्तर में निम्न व्यवस्था दी गयी है:-

प्रस्तर-4.1(3) राज्य सरकार द्वारा यह लक्ष्य रखा जाता है कि वर्ष 2030 तक शत-प्रतिशत सरकारी वाहन (सरकारी प्रयोग हेतु) ईवी हो। इस हेतु राज्य सरकार के शासकीय विभाग एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत संस्थाओं द्वारा सरकारी अभिकरणों जैसे राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स इन्स्ट्रूमेण्ट लिड (REIL) एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसेज लिड (EESL) इत्यादि से बिना निविदा के नामांकन के आधार पर ईवी वाहन क्रय की जा सकेगी। इस हेतु शासकीय प्रयोजन हेतु वाहनों के क्रय पर प्रचलित ऊपरी अधिकतम सीमा को शिथिल किया जायेगा।

प्रस्तर-4.1(4) राज्य सरकार द्वारा शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को देय वाहन एडवांस में ईवी वाहनों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के उपर्युक्त व्यवस्थानुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक शत-प्रतिशत सरकारी वाहन (सरकारी प्रयोग हेतु) ईवी किये जाने हेतु निर्धारित लक्ष्य के दृष्टिगत राज्य सरकार के शासकीय विभाग एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत संस्थाओं द्वारा सरकारी अभिकरणों से बिना निविदा के नामांकन के आधार पर ईवी वाहन क्रय किया जाय तथा इस हेतु शासकीय आयोजन हेतु वाहनों के क्रय पर प्रचलित ऊपरी अधिकतम सीमा को शिथिल किया जाय।

5- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इलेक्ट्रिक वाहन क्रय करने के लिए प्रोत्साहित किये जाने हेतु राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय वाहन अग्रिम में ईवी वाहनों को भी सम्मिलित किये जाने हेतु यथापेक्षित कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

श्रीमती ज्योती
21/4/23

20/04/23
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव
मूख्य लघु मध्यम उद्योग निर्यात प्रोत्साहन खादी ग्रामोद्योग हस्तकला उद्योग उत्तर प्रदेश शासन

VS(AP) ✓
VS(SCP)
VS(SMP)

21/04/23
मुख्य लघु मध्यम उद्योग खादी एवं ग्रामोद्योग, हस्तकला उत्तर प्रदेश शासन
038(VS AP/MSME/23)
J.S. (A)

कृ० अनुमान कार्य हेतु
परमार्थ्य

(अरुण प्रसाद)
विशेष सचिव
मुख्य लघु एवं मध्यम उद्योग निर्यात प्रोत्साहन खादी एवं ग्रामोद्योग, हस्तकला उत्तर प्रदेश शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> में सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-13/2023/565(1)/तीस-4-2023-30-4099(099)/40/2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
3. संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र संख्या-1143 (1)/77-6-2023-2(एम)/2022, दिनांक 31.03.2023 के संदर्भ में।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एल० वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।